



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042021-226398
CG-DL-E-07042021-226398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1351]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 07, 2021/चैत्र 17, 1943

No. 1351]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 07, 2021/CHAITRA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 अप्रैल, 2021

का.आ.1462(अ).—सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में NH70 के कि.मी. 224 से कि.मी. 264.96 (उप मंडल अधिकारी (सिविल), मंडी) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22 जनवरी, 2021" को "अमर उजाला" और "द ट्रिब्यून" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में NH70 के कि.मी. 224 से कि.मी. 264.96 (उप मंडल अधिकारी (सिविल), मंडी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: मंडी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कोटली				
	गांव का नाम: बूहनली सरवाडी (27)				
1	871/1	सरकारी	जंगल मैहफूजा मैहदूदा	0.0674	सरकार हिमाचल प्रदेश (८७१ /१)
2	872/1	सरकारी	जंगल मैहफूजा गैर मैहदूदा	0.1157	सरकार हिमाचल प्रदेश (८७२ /१)
	तालुक का नाम: सदर				
	गांव का नाम: चडयारा/ 346				
1	137/1	निजी	गैर मुमकिन मकान	0.002	कुल भाग (72) प्रेम लाल, श्याम लाल पुत्र व श्रीमति शुशीला, श्रीमति रेखा पुत्रियां धर्म पाल पुत्र मोहन लाल भाग बराबर (36) भाग शांती लाल, हरिन्द्र लाल पुत्र व श्रीमति हीमां देवी विधा हरवंश लाल पुत्र धर्म पाल भाग बराबर (9) भाग नवनीत, निशान्त पुत्र व श्रीमति भवानी विधा मनोहर लाल पुत्र धर्म पाल भाग बराबर (25) भाग श्रीमति सुमंगला, श्रीमति ललिता पुत्रियां धर्म पाल पुत्र मोहन लाल भाग बराबर (2) भाग स्थानिय वासी (१३७ /१)
			कुल	0.1851	

[फा.स. RW/NH-12014/853/2014/HP/NH-I/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2021

S.O. 1462(E).—Where by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH70 on the stretch of land from Km 224 to Km 264.96 (Sub Divisional Officer (Civil), Mandi) in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in "Amar Ujala" and "The Tribune" both dated 22 January, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH70 in the stretch of land from NH70 (Sub Divisional Officer (Civil), Mandi) in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: MANDI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kotli					
Village: Buhnli Sarwari (27)					
1	871/1	Government	Jangal Mehfuja Mehduda	0.0674	Government Himachal Pradesh 871/1
2	872/1	Government	Jangal Mehfuja Gair Mehduda	0.1157	Government Himachal Pradesh 872/1
Taluk: Sadar					
Village: Chadyara/ 346					
1	137/1	Private	Gair Mumkin Makaan	0.002	Total share (72) Prem Lal, Shayam Lal s/o and Mrs. Shushila, Mrs. Rekha daughters Dharm Pal s/o Mohan Lal equal share (36) share Shanti Lal, Harindra Lal s/o and Shrimati Hima Devi widow of Harvansh Lal s/o Dharam Pal equal share (9) share Navneet, Nishat S/o and Smt. Bhavani widow of Manohar Lal s/o Dharm Pal equal share (25) share Smt. Sumangala,

					Smt. Lalitha daughters Dharm Pal Pal Mohan Lal equal share (2) share local resident 137/1
			TOTAL	0.1851	

[F. No. RW/NH-12014/853/2014/HP/NH-I/3D]
RAJESH GUPTA, Director